

कार्यालय प्रशासकीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

पत्रांक /331

दिनांक 2 बांदा 4.3 मार्च 2016

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन
17राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाले पर 2×5 मी. स्पान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर०सी०सी० बाक्स कलवर्ट एवं कर्व मरम्मत हेतु 0.30 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ- आपका पत्रांक 08बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1993 दिनांक 22.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि संशोधित प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निर्धारित प्रारूप में निराकरण निम्नप्रकार किया गया है।

Observ No.	Observation of Gol	Reply
1	जिला बांदा में इको क्लास-1 दिखाया गया है जोकि गलत है।	प्रस्ताव के पेज नं०-5 पर इको क्लास-1 नहीं दिखाया गया है।
2	प्रस्ताव के भाग-2 में परियोजना का वित्तीय ले-आउट 2.16 करोड़ दर्शाया गया है जबकि प्रतिदिन एक भी व्यक्ति रोजगार लाभान्वित नहीं है। इसका क्या कारण है?	रोजगार का विवरण अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव के भाग-1 के आगे के दो पृष्ठ अस्पष्ट है।	पृष्ठ बदल दिये गये है।
4	प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया ले-आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है एवं सम्बन्धित मानचित्र भी अस्पष्ट है।	ले-आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित करा दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न वन भूमि की अधिसूचना में यह नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा भाग प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है?	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की अधिसूचना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के भाग को दर्शा दिया गया है। साथ ही मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजिटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के जी.पी.एस., को-आर्डिनेट के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है। को-आर्डिनेट को सारणी में उपलब्ध कराया गया है किन्तु इसे मानचित्र में बिन्दुओं के साथ लिंक नहीं किया गया है।	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित जी.पी.एस. कोआर्डिनेट उपलब्ध करा दिये गये है। साथ .kml फाइल सी.डी. संलग्न कर दी गयी है।
7	टोपोशीट अस्पष्ट है एवं उससे कुछ भी समझना मुश्किल है।	स्पष्ट टोपोशीट संलग्न कर दी गयी है।

Observ No.	Observation of Gol	Reply
8	भाग-2 में पातन किये जाने वाले वृक्षों के ब्यौरे में 30 सेमी व्यास के वृक्षों की गणना नहीं की गयी है	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-45 पर 30 सेमी. से 40 सेमी. के व्यास के वृक्षों की गणना की गयी है। जिनकी संख्या 14 है।
9	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का मानचित्र एवं योजना नहीं उपलब्ध करायी गयी है।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का जी.पी.एस. को-आर्डिनेट के साथ मानचित्र संलग्न कर दिया गया है जो भूमि प्रस्तावित भूमि के बदले में दी जा रही है। उसी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।
10	प्रस्ताव अधूरा है। मूल प्रस्ताव की भौतिक प्रति भी अपेक्षित है। यदि उसमें कोई और त्रुटि पायी जाती है तो उसको भी पत्र के द्वारा सूचित किया जायेगा।	प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों को दूर कर पुनः प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

दिनांक.....

पत्रांक 3859
प्रतिलिपि-

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को सूचनार्थ प्रेषित।

4
प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

पत्रांक /334

दिनांक 02 बांदा 03 मार्च 2016

सेवा में,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर-एच
अलीगंज, लखनऊ

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाले पर 2×5 मी. स्पान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट एवं कर्व मरम्मत हेतु 0.30 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ- आपका पत्रांक 08बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1419 दिनांक 11.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि संशोधित प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निर्धारित प्रारूप में निराकरण निम्नप्रकार किया गया है।

Observ No.	Observation of Gol	Reply
1	प्रस्ताव के भाग-1 में उल्लिखित परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा गलत है।	प्रस्ताव के भाग-1 में उल्लिखित परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के भाग-1 में (पृष्ठ-11) में दिया गया वानस्पतिक घनत्व ऑनलाईन प्रस्ताव में दिये गये वानस्पतिक घनत्व में भिन्नता है।	प्रस्ताव के भाग-1 में (पृष्ठ-11) में दिया गया वानस्पतिक घनत्व सही अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में सम्बन्धित अधिकारियों की मोहर नहीं लगी हुई है।	प्रस्ताव में सम्बन्धित अधिकारियों की मोहर लगा दी गयी है।
4	प्रस्ताव में दी गयी क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में उपलब्ध कराये गये मानचित्र (पृष्ठ-55) में मेल नहीं खाती है।	प्रस्ताव में दी गयी क्षेत्रफल की गणना कार्यस्थल के अनुसार सही है तथा मानचित्र को उसी के अनुसार मान लिया जाये।
5	प्रस्ताव में संलग्न सम्बन्धित वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या अधूरी है।	प्रस्ताव में सम्बन्धित वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या संशोधित कर पुनः लगा दी गयी है।
6	प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी वन भूमि की अधिसूचना सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी वन भूमि की अधिसूचना सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित करा दी गयी है।
7	पृष्ठ 56 में संलग्न मानचित्र बिना तालिका, शीर्षक के प्रेषित की गयी है।	पृष्ठ-56 में संलग्न मानचित्र पर तालिका शीर्षक बना दिया गया है।
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र Google Earth Format पर नहीं उपलब्ध कराया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र Google Earth Format पर उपलब्ध करा दिया गया है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

पत्रांक /334

दिनांक 02 बांदा 03 मार्च 2016

सेवा में,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर-एच
अलीगंज, लखनऊ

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाले पर 2×5 मी. स्पान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट एवं कर्व मरम्मत हेतु 0.30 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ- आपका पत्रांक 08बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1419 दिनांक 11.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि संशोधित प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निर्धारित प्रारूप में निराकरण निम्नप्रकार किया गया है।

Observ No.	Observation of Gol	Reply
1	प्रस्ताव के भाग-1 में उल्लिखित परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा गलत है।	प्रस्ताव के भाग-1 में उल्लिखित परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के भाग-1 में (पृष्ठ-11) में दिया गया वानस्पतिक घनत्व ऑनलाईन प्रस्ताव में दिये गये वानस्पतिक घनत्व में भिन्नता है।	प्रस्ताव के भाग-1 में (पृष्ठ-11) में दिया गया वानस्पतिक घनत्व सही अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में सम्बन्धित अधिकारियों की मोहर नहीं लगी हुई है।	प्रस्ताव में सम्बन्धित अधिकारियों की मोहर लगा दी गयी है।
4	प्रस्ताव में दी गयी क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में उपलब्ध कराये गये मानचित्र (पृष्ठ-55) में मेल नहीं खाती है।	प्रस्ताव में दी गयी क्षेत्रफल की गणना कार्यस्थल के अनुसार सही है तथा मानचित्र को उसी के अनुसार मान लिया जाये।
5	प्रस्ताव में संलग्न सम्बन्धित वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या अधूरी है।	प्रस्ताव में सम्बन्धित वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या संशोधित कर पुनः लगा दी गयी है।
6	प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी वन भूमि की अधिसूचना सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी है।	प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी वन भूमि की अधिसूचना सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित करा दी गयी है।
7	पृष्ठ 56 में संलग्न मानचित्र बिना तालिका, शीर्षक के प्रेषित की गयी है।	पृष्ठ-56 में संलग्न मानचित्र पर तालिका शीर्षक बना दिया गया है।
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र Google Earth Format पर नहीं उपलब्ध कराया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र Google Earth Format पर उपलब्ध करा दिया गया है।

Observ No.	Observation of Gol	Reply
9	प्रस्ताव का नाम जिसके लिये वन भूमि की आवश्यकता है गलत भरा गया है	प्रस्ताव का नाम - तिंदवारी पपरेन्दा पैलानी जसपुरा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं०-40) के किमी.-24 में ककनारे बाबा नाले पर कर्व सुधार एवं 2×5 मी. स्पान एवं 7.00 मी. ऊंचाई की आर.सी.सी. बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य लिखा गया है।
10	प्रस्ताव के भाग-1 में दिये गये ब्यौरे में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता केवल 02 वर्ष के लिये है उल्लिखित है।	प्रस्ताव के भाग-1 में दिये गये ब्यौरे में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता 99 वर्ष के लिये दर्शा दी गयी है।
11	परियोजना हेतु वन भूमि के चयन पर प्रस्तुत औचित्य अप्रासंगिक है।	परियोजना हेतु वनभूमि के चयन के अलावा कोई विकल्प नहीं है तथा उ०प्र० शासन की उक्त कार्य हेतु परियोजना स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रस्तावित किया गया है।
12	परियोजना में प्रस्तावित स्थल पर खडे कुल वृक्षों की सूची एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची अलग-अलग प्रस्तुत करें।	परियोजना में प्रस्तावित स्थल पर बाधक वृक्षों जिनका पातन किया जाना आवश्यक है उन्ही वृक्षों का छपान किया गया है। अन्य वृक्षों की गणना नहीं की गयी है।
13	परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र .shp/.kml फाइल सी.डी. में उपलब्ध नहीं कराया गया है।	परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र .shp/.kml फाइल सी.डी. में उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

दिनांक.....

पत्रांक 380

प्रतिलिपि-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा